



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 31 मार्च, 2024

थाना कोतवाली नगर

अवैध कच्ची शराब बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब, 100 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31-03-2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर दक्ष गार्डन के पीछे काली नदी के किनारे से 02 अभियुक्तों को अवैध शराब की भट्टी चलाते हुए 20 लीटर कच्ची शराब, 100 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 255/24 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. रिजवान पुत्र अहमद अली निवासी तन्दूर वाली गली धमेडा अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. केशव उर्फ शेखर पुत्र शिवकुमार निवासी बिलसूरी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।(हालपता- काशीराम आवसीय योजना निकट रोडवेज बस स्टैंड चांदपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।)

बरामदगी-

- 1- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब
- 2- 100 लीटर लहन
3. शराब बनाने के उपकरण- 02 पत्तीले, 01 भगोना, 01 प्लेट, 01 पाइप, 01 ड्रम, प्लास्टिक के डब्बे

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-125/18 धारा 380,411,457 भादवि थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मुअसं-318/18 धारा 380,411,457 भादवि थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मुअसं-319/18 धारा 380,411,457 भादवि थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
4. मुअसं-349/18 धारा 41 सीआरपीसी थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
5. मुअसं-205/18 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईकोटेक-3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. मुअसं-695/19 धारा 3/4/5/7(1)(B) अनैतिक व्यापार निवारण थाना सैक्टर 20 जनपद गौतमबुद्धनगर।
7. मुअसं-737/22 धारा 380 भादवि थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
8. मुअसं-780/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2 जनपद गौतमबुद्धनगर।
9. मुअसं-337/22 धारा 380,411,457 भादवि थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
10. मुअसं-626/22 धारा 380,411,457 भादवि थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।
11. मुअसं-685/22 धारा 414 भादवि थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

- 12 मुअसं-613/23 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 13 मुअसं-619/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 14 मुअसं-179/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं-255/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार, उ०नि० शैलेन्द्र कुमार
3. है०का० मौहम्मद शाहिद, है०का० अमित कुमार, का० मन्दीप कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर